घटनाओं या सूचना की महत्वपूर्णता की गणना के लिए नीति

1. पृष्ठभूमि

एमएसटीसी लिमिटेड (इसके बाद "कंपनी'' के रूप में संदर्भित) सभी हितधारकों के साथ खुले और पारदर्शी होने और निष्पक्ष तथा समय पर जानकारी का प्रसार करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी समय-समय पर संशोधित सेबी (लिस्टिंग, दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं विनियम, 2015 ("लिस्टिंग विनियम'') के अनुसार अनिवार्य प्रकटीकरण दायित्वों का पालन करेगी।

घटनाओं या सूचनाओं की महत्वपूर्णता के निर्धारण पर नीति की सूचीबद्ध विनियमों ("नीति'') की आवश्यकताओं के अनुपालन में निवेशकों के लिए वारंट प्रकटीकरण किया गया है।

इस नीति में जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया है, लेकिन वे परिभाषित नहीं हैं, लेकिन सेबी अधिनियम, 1992, कंपनी अधिनियम, 2013, प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956, निक्षेपागार अधिनियम 1996 और अन्य लागू कानूनों में परिभाषित हैं और/या वहां बनाए गए नियम और कानून इस तरह के अधिनियमों या नियमों का विनियमों या किसी वैधानिक संशोधन या फिर से अधिनियम के तहत उन्हें सौंपे जाने के समान ही अर्थ होगा, जैसा भी मामला हो।

2. प्रस्तावना

कंपनी घटनाओं या सूचना के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण निम्नलिखित नीति और प्रक्रियाओं को अपनाती है, जो लिस्टिंग विनियमों के विनियम 30 के मामले में स्टॉक एक्सचेंक को बताये जाने की आवश्यकता है। यह नीति लिस्टिंग विनियम के विनियम (4) के खंड (ii) के अनुसार गठित की गई है।

3. नीति के उद्देश्य

इस नीति के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

क. यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी प्रकटीकरण दायित्वों का अनुपालन करती है, जिसके तहत यह सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी के रूप में सूचीबद्ध है जैसा कि सूचीबद्ध विनियमों, विभिन्न प्रतिभूति, कानूनों और किसी अन्य विधानों द्वारा निर्धारित किया गया है।

ख. यह सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा बनाई गई जानकारी समय पर और पारदर्शी है।

ग. यह सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट दस्तावेज और सार्वजनिक बयान सही हैं और इसमें कोई गलत विवरण नहीं है।

घ. कंपनी के प्रकटीकरण दायित्व के संदर्भ में सामग्री/मूल्य संवेनशील जानकारी की गोपनीयता की रक्षा करना।

ङ. कंपनी द्वारा जारी सूचना की गुणवत्ता और अखंडता में विश्वास को समर्थन और बढ़ावा देने वाला एक ढांचा प्रदान करना है।

च. प्रकटीकरण जागरूकता बढ़ाने और चयनात्मक खुलासे के जोखिम को कम करने के लिए कंपनी के दृष्टिकोण में एकरूपता सुनिश्चित करना है।

4. नीति का उद्देश्य

इस नीति का उद्देश्य सूचीबद्ध विनियमों के विनियम 30 के उप-विनियम (4) खंड-1 के तहत निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर घटनाओं और सूचनाओं की महत्वपूर्णता का निर्धारण करना है और यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी घटनाओं/सूचनाओं के प्रकटीकरण का स्टॉक एक्सचेंजों के लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची ।।। के भाग ए के पैरा ए और बी में उल्लेख करेगी तथा कंपनी और उसके अधिकारियों को प्रकटीकरण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना; जो उचित हो तथा जो प्रत्येक घटना के तथ्यों के अनुरूप हो।

5. घटनाओं/जानकारी जानकारी की महत्वपूर्णता के निर्धारण हेतु मानदंड

कंपनी निम्न घटनाओं/सूचनाओं की महत्वपूर्णता के निर्धारण के लिए सूचीबद्ध विनियम 30 के उप-नियम 4 के खंड(i) में उल्लेखित मानदंड पर विचार करेगी।

(क) किसी घटना या सूचना की चूक, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक रूप से या पहले से मौजूद घटना या जानकारी की अनियमितता या परिवर्तन का परिणाम होता है;

(ख) किसी घटना या सूचना के चूक के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण बाजार प्रतिक्रिया हो सकती है, यदि उक्त चूक बाद की तारीख में सामने आई;

(ग) यदि उप-खंड(ए) और (बी) में निर्दिष्ट मानदंड लागू नहीं होते हैं, तो एक घटना/सूचना को महत्वपूर्ण माना जा सकता है, यदि कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या निदेशक(वाणिज्यिक) या निदेशक(वित्त) घटना/सूचना को सामग्री माना जाता है।

6. घटना या जानकारी का प्रकटीकरण

क. लिस्टिंग के अनुसूची ।।। के भाग ए के पैरा ए में निर्दिष्ट घटनाएं/सूचनाएं निम्न है, जिनमें से कंपनी के दिशा निर्देशों औपचारिकता के किसी भी आवेदन के बिना शेयर बाजारों में प्रकटीकरण करेगा।

1. अधिग्रहणों (प्राप्त करने के लिए समझौता सहित), व्यवस्था, योजना(समामेलन /विलय/डीमर्जर/पुनर्गठन), या बिक्री या निपटान किसी भी

इकाइयों की, विभाजन या सहायक सूचीबद्ध इकाई या किसी अन्य योजना का पुनर्गठन।

स्पष्टीकरण : इस उप-पैरा के प्रयोजन के लिए 'अधिग्रहण' शब्द का अर्थ होगा -

i. नियंत्रण प्राप्त करना, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से; या
ii. एक कंपनी में शेयर या वोटिंग अधिकार अधिग्रहण या सहमति, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से; या जैसे कि

क) सूचीबद्ध इकाई उक्त कंपनी में शयर या मतदान का अधिकार के कुल पांच(5) प्रतिशत या अधिक के शेयर या मतदान का अधिकार रखती है।
ख) इस उप पैरा के स्पष्टीकरण के उपखंड(ii) के उप-खंड(क) के तहत किए गए अंतिम खुलासे से होल्डिंग में बदलाव हुआ है, और ऐसा परिवर्तन उक्त कंपनी के कुल शेयरधारित या मतदान अधिकारों के दो(2) प्रतिशत अधिक है।

2. प्रतिभूतियों को जारी या जब्त, शेयरों का विभाजन या समेकन, प्रतिभूतियों की पुर्नखरीद, प्रतिभूतियों की स्थानान्तरणीयता पर कोई प्रतिबंध या शर्तों में बदलाव जब्त सहित वर्तमान प्रतिभूतियों की संरचना, जब्त प्रतिभूतियों को पुन: जारी करना, कॉल में बदलाव प्रतिभूतियों को छोड़ना आदि

3. रेटिंग में संशोधन

4. निदेशक मंडल की बैठक का परिणाम : सूचीबद्ध इकाई एक्सचेंजों को, बैठक के बंद होने के तीस(30) मिनटों के भीतर निम्नलिखित पर विचार करेगी :

क) लाभांश और/या नगद बोनस की सिफारिश या घोषित या लाभांश किसी को देने का निर्णय
और तारीख जिस पर लाभांश का भुगतान किया गया/भेजा जायेगा;
ख) लाभांश के किसी भी रद्द होने के कारण सहित;
ग) प्रतिभूतियों की खरीद पर निर्णय;
घ) निधि जुटाने के संबंध में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित
ङ) तारीख जिनमें ऐसे बोनस शेयर क्रेडिटेड/प्रेषित किए जाएंगे, सहित पूंजीकरण के माध्यम से बोनस शेयर जारी करने के द्वारा पूंजी में वृद्धि;
च) जब्त शेयरों या प्रतिभूतियों को पुन: जारी करना, या भविष्य के लिए रखे गए किसी भी रूप या तरीके से नए शेयर या प्रतिभूतियों या अन्य अधिकार, विशेषाधिकार या लाभ की सदस्यता, आरक्षित शेयरों या प्रतिभूतियों को जारी करना;
छ) कॉल सहित पूंजी के किसी भी अन्य परिवर्तन के कम विवरण;
ज) वित्तीय परिणाम;
झ) स्टॉक एक्सचेंज से सूचीबद्ध इकाई द्वारा स्वैच्छिक डिलिस्टिंग पर निर्णय

5. समझौतों(मसलन शेयरधारक समझौते, संयुक्त उद्यम समझौते, परिवार निपटान समझौते(इस हद तक कि यह सूचीबद्ध इकाई के प्रबंधन और नियंत्रण को प्रभावित करता है), समझौता/संधियां/अनुबंध मीडिया कंपनियों के साथ) जो बाध्यकारी हैं

और उसके कारोबार के सामान्य क्रम के दौरान समीक्षा या संशोधन और समाप्ति में नहीं।

6. प्रमोटर या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों द्वारा या सूचीबद्ध संसा या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों या प्रमोटरों की गिरफ्तारी।

7. निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों (प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी, कंपनी सचिव आदि) लेखा परीक्षक और अनुपालन अधिकारी में परिवर्तन।

8. शेयर हस्तांतरण अभिकर्ता की नियुक्ति या अनियमितता।

9. कॉरपोरेट ऋण पुनर्गठन।

10. बैंक के साथ एक बार का निपटना

11. किसी भी पार्टी/लेनदारों द्वारा दायर की गई याचिका का समापन या बीआईएफआर संदर्भ

12. शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों या लेनदारों या उनमें से किसी भी वर्ग को भेजे गए नोटिस, कॉल पत्र, संकल्प और परिपत्र जारी करना या सूचीबद्ध इकाई द्वारा मीडिया में विज्ञापित किया गया।

13. सूचीबद्ध इकाई की वार्षिक और असाधारण सामान्य बैठक की कार्यवाही

14. संक्षेप में सूचीबद्ध इकाई के संस्था के अंतर्नियम और बाह्यर्नियम

15. विश्लेषकों या संस्थागत निवेशकों को सूचीबद्ध संस्था द्वारा किए गए वित्तीय परिणामों पर विश्लेषक या संस्थागत निदेशक की बैठक और प्रस्तुतियों की अनुसूची।

ख. इस नीति के खंड 5 में दिए गए महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों के आवेदन पर आधारित शामिल लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची ।।। के भाग क के अनुच्छेद ख में निर्दिष्ट घटनाएं/सूचनाएं निम्नलिखित हैं-

1. किसी भी इकाई/प्रभाग के वाणिज्यिक उत्पादन या व्यवसायिक परिचालनों के प्रारंभ होने की तिथि में शुरूआत या कोई स्थगन।

2. रणनीतिक, तकनीकी, विनिर्माण के लिए व्यवस्था द्वारा लाए गए व्यवसाय के सामान्य चरित्र या प्रकृति में परिवर्तन या विपणन संधि, व्यापार की नई लाइनों को अपनाने या किसी इकाई/प्रभाग के संचालन को बंद करना (संपूर्णता या टुकड़ो में)

3. क्षमता वृद्धि या उत्पाद का शुभारंभ

4. सामान्य व्यापार क्रम में, एवडिंग, बैंगिग/प्राप्ति संशोधन या एवार्डिंग बैग्ड आदेश/संविदा की समाप्ति

5. करार (अर्थात ऋण समझौते) (एक उधारकर्ता के रूप में) या कोई अन्य समझौते, जो बाध्यकारी हैं, और सामान्य व्यापार के क्रम में नहीं है) और उसके परिशोधन या संशोधन या समाप्ति।

6. प्राकृतिक आपदा (भूकंप, बाढ़, आग आदि) अप्रत्याशित घटना या घटनाएं मसलन हड़ताल, तालाबंदी आदि के कारण सूचीबद्ध इकाई की एक या अधिक इकाइयों या प्रभागों के प्रचालन में बाधा।

7. सूचीबद्ध इकाई पर लागू नियामक ढांचा में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले प्रभाव।

8. याचिक/विवाद/नियामक कार्रवाई प्रभाव के साथ।

9. सूचीबद्ध इकाई के निदेशक द्वारा (अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक) या कर्मचारियों के धोखाधड़ी/चूक आदि

10. किसी भी ईएसओपी/ईएसपीएस योजना सहित प्रतिभूतियों की खरीद के विकल्प।

11. गारंटी या क्षतिपूर्ति देना या किसी तीसरे पक्ष के लिए प्रतिभूति बनना।

12. अनुदान, आहरण, आत्मसमर्पण, रद्द करना या प्रमुख लाइसेंस या विनियामक अनुमोदन को निलंबित करना।

ख. कोई अन्य जानकारी/घटना मसलन प्रमुख विकास है जो व्यापार को प्रभावित करता है, जैसे नई प्रौद्योगिकियों के उद्भव पेटेंट की अवधि समाप्ति होने का लेखांकन नीति के किसी भी परिवर्तन का लेखा आदि पर महत्वपूर्ण प्रभाव है, और संक्षिप्त विवरण और किसी भी अन्य जानकारी जो विशेष रूप से सूचीबद्ध इकाई के लिए जाना आवश्यक है, जो सूचीबद्ध इकाई की प्रतिभूतियों के धारकों को अपनी स्थिति को स्पष्ट करने और ऐसी प्रतिभूतियों में झूठे बाजार की स्थापना से बचने के लिए सक्षम करने के लिए आवश्यक हो सकता है।

ग. ऊपर दिए गए पैरा (क), (ख) और (ग) की व्यापकता के पूर्वाग्रह के बिना, कंपनी समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट घटना/सूचना के प्रकटीकरण कर सकती है।

घ. कंपनी नियमित रूप से महत्वपूर्ण विकास को अद्यतन करनेवाले प्रकटीकरण करेगी, जब तक कि प्रासंगिक स्पष्टीकरण के साथ घटना को हल/बंद नहीं किया जाता है।

ङ. कंपनी सभी घटनाओं या सूचनाओं को अपनी महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के साथ साझा करेगी, यदि कोई हो।

च. कंपनी किसी भी घटना या जानकारी के संबंध में शेयर बाजार द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों के लिए विशिष्ट और पर्याप्त जवाब प्रदान करेगा।

7. घटनाओं/सूचनाओं की महत्वपूर्णता के निर्धारण के लिए प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 30 के तहत प्रकटीकरण दायित्व का अनुपालन करती है, निम्नलिखित किसी भी घटना/सूचना की रिपोर्टिंग के लिए एक आंतरिक प्रणाली है जिसके लिए पकटीकरण की आवश्यकता हो सकती है ताकि घटना/सूचना का

सही मूल्यांकन किया जा सके और स्टॉक एक्सचेंज में इसके प्रकटीकरण के संबंध में निर्णय हो सके। प्रणाली के तहत, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित सभी कार्यात्मक/पूर्णकालीक निदेशक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) है और कंपनी के संचालन के प्रासंगिक क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार है। सभी कार्यात्मक/पूर्णकालीक निदेशकों को किसी भी घटना या सूचना को कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या निदेशक – वित्त को सूचित करना चाहिए जो महत्वपूर्ण है या संभवत: महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जिनमें से केएमपी अपनी महत्वपूर्णता के अनुसार अनिश्चित है। किसी घटना या सूचना की महत्पूर्णता का निर्धारण करने के लिए और इसके विनियम के तहत स्टॉक एक्सचेंज के प्रकटीकरण करने के उद्देश्य से एक केएमपी बनने के तुरंत बाद घटना/सूचना को रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

सामग्री/संभावित सामग्री की घटना/सूचना के संचार प्राप्त होने पर कंपनी सचिव के साथ अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या निदेशक – वित्त करेंगे:

i. घटना/जानकारी की समीक्षा करें और इसके सत्यापन के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाए जाएं ;

ii. मात्रात्मक मानदंड लागू करे, जहां महत्वपूर्ण्ता किसी घटना/सूचना पर लागू होगी। जहां मूल्य शामिल या वार्षिक समेकित कारोबार का प्रभाव 20% या 40% शुद्ध लाभ से अधिक है या कंपनी के नवीनतम ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों के आधार पर शुद्ध मूल्य का 30% से अधिक है और रु.100.00 करोड़ (केवल एक सौ करोड़ रुपए) व्यापार योजनाओं या नई परियोजनाओं के निष्पादन का कोई बड़ा विस्तार है और यदि आवश्यक हो, तो आवश्यक अनुमोदन के ऊपर, लागू होने पर है।

iii. इस नीति के ''घटनाओं/सूचनाओंकी महत्वपूर्णता के निर्धारण के लिए "खंड-5 मानदंड के संदर्भ में लिस्टिंग के विनियामकों के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के लिए घटना/जानकारी का खुलासा करने की आवश्यकता है या नहीं, इसका आंकलन करे।

iv. एक नियमित आधार पर अद्यतन सामग्री के विकास की समीक्षा करें, जब तक कि घटना को हल/बंद नहीं किया जाता है।

v. सहायक कंपनियों के संबंध में सभी घटनाओं या सूचनाओं की समीक्षा करें जो सूचीबद्ध इकाई के लिए महत्वपूर्ण है।

vi. किसी भी घटना या जानकारी के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज द्वारा उठाए गए प्रश्नों के लिए विशिष्ट और पर्याप्त उत्तर की समीक्षा करें।

vii. जब कोई घटना/जानकारी घटित हुई हो, तो मार्गदर्शन लागू करे।

viii. बाहरी कानूनी सलाह के लिए मामले को देखें जहां वे घटना/सूचना की महत्वपूर्णता के बारे में निश्चित नहीं है।

महत्वपूर्ण घटना/सूचना के प्रकटीकरण/घोषणा के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रकिया; इस प्रकार है:

क. **शेयर बाजारों के लिए मसौदा घोषणा तैयार** : यदि घटना/जानकारी महत्वपूर्ण है, तो कंपनी प्रमुखों और साहयक कंपनियों के प्रमुख के सामरिक बिजनेस एकड़/इकाई बाजारों को तथ्यात्मक और स्पष्ट तरीके से व्यक्त किया जाता है। कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध

निदेशक के या निदेशक-वित्त का अनुमोदन लिए घोषणा मसौदा तैयार करे और कंपनी सचिव को घोषणा प्रस्तुत करना।

ख. **घोषणाएं करें** : कंपनी की ओर से अनुपालन अधिकारी या स्टॉक एक्सचेंज के साथ निम्नलिखित रूप में घोषणा करने की व्यवस्था करें:

i. इस नीति के "खंड 6 घटनाओं और सूचनाओं के प्रकटीकरण'' के तहत कवर की गई घटना या सूचना, जितनी जल्दी तार्किक रूप से संभव हो या घटना को चौबीस (24) घंटे बाद नहीं है।

घटना या सूचना के घटने के चौबीस (24) घंटे के बाद प्रकटीकरण किया जाता है, सूचीबद्ध संस्था ऐसे प्रकटीकरण के साथ देरी के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करेगी।

ii. इस नीति के खंड 6.क के उप-खंड 4 में निर्दिष्ट घटनाओं के संबंध में प्रकटीकरण बोर्ड मीटिंग के निष्कर्ष के तीस (30) मिनट के भीतर बनया जाएगा।

ग) **वेबसाईट पर पश्चात घोषणा** : स्टॉक एक्सचेंजों के साथ घोषणा करने के बाद, कंपनी सचिव इसे कंपनी की वेबसाईट पर रखने की व्यवस्था करेंगे। इस तरह के प्रकटीकरण को सूचीबद्ध इकाई के वेबसाईट पर न्यूनतम पांच(5) वर्षों के लिए और उसके बाद सूचीबद्ध इकाई की अभिलेखीय नीति के अनुसार पोस्ट की जाएगी।

8. संचार की यह नीति

नीति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इस नीति की एक प्रति बोर्ड, वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक/सहायक कंपनी के प्रमुखों को परिचालित की जाएगी। सभी वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक संबंधित कार्यात्मक निदेशकों को उनके संचालन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाओं या सूचना से संभावित महत्वपूर्ण घटनाओं या सूचनाओं की रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार है। यह नीति कंपनी के वेबसाईट पर पोस्ट की जाएगी।

9. प्रभावी तिथि

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन के रूप में नीति 11 जनवरी 2019 से प्रभावी होगी।

10. वेबसाईट

नीति का प्रकटीकरण कंपनी की वेबसाईट पर किया जाएगा। इसके अलावा, कंपनी अपनी वेबसाईट पर उन सभी घटनाओं या सूचनाओं का प्रकटीकरण करेगी, जिन्हें लिस्टिंग विनियमों के तहत स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया गया है और ऐसे प्रकटीकरण कंपनी की वेबसाईट पर पांच(5) वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे और उसके बाद, कंपनी की अभिलेखीय नीति के अनुसार होंगे।

11. संपर्क विवरण

कंपनी द्वारा बनाई गई नीति या प्रकटीकरण के बारे में प्रश्न या स्पष्टीकरण कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी को संदर्भित किए जाने चाहिए, जो इस नीति को प्रशासित करने, लागू करने और अद्यतन करने के प्रभारी हैं।

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

एमएसटीसी लिमिटेड

225सी, ए जे सी बोस रोड
कोलकाता 700020

टेलीफोन : +91 33 22813088

फेसिमेल: +91 33 2290 7211

ई–मेल: cosec@mstcindia.co.in

12. संशोधन

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) एवं निदेशक (वाणिज्यिक) अलग–अलग किसी भी संदेह को दूर करने के लिए अधिकृत हैं या कोई विसंगति जो इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के सिलसिले में मौजूद हो सकता है।

बोर्ड (इसकी विधिवत गठित समितियां, जहां भी अनुमन्य है), इस नीति के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की, किसी भी प्रावधान को नए प्रावधान के साथ प्रतिस्थापित करने या इस नीति को पूरी तरह से एक नई नीति के साथ बदलने की शक्ति रखता है। यह नीति समय–समय पर आवश्यक/नियामक संशोधन के अनुसार समीक्षा/परिवर्तनों के अधीन हो सकती है।